UPMZ010076852026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Judge/Special Judge
(POCSO Act),Court No 1 (for trying rape cases along with the cases covered under the POCSO), Muzaffarnagar
पीठासीन अधिकारी– (Smt. Manjula Bhalotia), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP03817

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3116/2026

हिबजुल रहमान बनाम उ0प्र0 सरकार

अंतर्गत धारा– 137(2),75,78,64(1)बी.एन.एस.
व 7/8 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम
व 3(2)(v), 3(1)(ब)(i)(ii) एस.सी./एस.टी.एक्ट
मु०अ०सं०–84/2026
थाना– मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर।

01.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त हिबजुल रहमान पुत्र अब्दुल कलाम, निवासी ग्राम सम्भलहेड़ा, थाना मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर की ओर से मु०अ०सं०–84/2026, अन्तर्गत धारा **137(2), 75, 78, 64(1) बी.एन.एस. व 7/8 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(v), 3(1)(ब)(i)(ii) एस.सी./एस.टी.एक्ट**, थाना मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है अपराध उपरोक्त से उसका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठे तौर पर नामजद किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त की कोई संलिप्तता किसी प्रकार की कथित अपराध के कारित करने में नहीं रही है। प्रार्थी / अभियुक्त ने कभी किसी का कोई अपहरण, व्यपहरण नहीं किया है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई लडकी बरामद हुई है तथा न ही प्रार्थी/अभियुक्त ने कथित पीडिता के साथ कोई रेप किया है। कथित पीडिता की आयु 18 वर्ष नही अपितु उससे अधिक की आयु की बालिग लडकी है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध 7/8 व 3/4 पोक्सो

Digitally signed by MANJULA BHALOTIA
Date: 2026.07.01 16:09:53 IST
Reason: bail order
Location: ADJ/PDCSO-1

एक्ट का अपराध नही बनता है। कथित पीर्डिता द्वारा अपना आधार काड तीन बार चेन्ज कराया है और हर बार अपनी जन्मतिथि ही बदलवायी है प्रथम बार पीडिता के आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 02.02.2004 व दूसरी बार में 02.06.2006 व तीसरी बार इस घटना के बाद 02.02.2009 अंकित करायी है। इसस प्रकार पीडिता बालिग है और प्रार्थी को जानबूझकर उक्त अपराध में नफा नाजायज कमाने व राज्य सरकार से अवैध रूप से धन वसूलने के कारण पीडिता को नाबालिग बताते हुए झूठा फंसाया गया है। पीडिता के सभी आधार कार्डो की फोटोकोपी संलग्न शपथपत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त से पीडिता का कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है जैसा कि एफ.आई.आर. में तहरीर किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा घटना के दिनांक को पीडिता से कोई सम्पर्क किसी प्रकार से नही किया गया है और न ही पीडिता को अपने साथ ले जाने हेतू उकसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कथित पीडिता का कोई अपहरण या व्यपहरण नहीं किया है और न ही कोई पीडिता को जबरन शादी के लिये प्रेरित किया है। प्रार्थी / अभियुक्त पर लगाये गये आरोप कतई निराधार है। जिनका प्रार्थी से कोई मतलब वास्ता नही है। कथित पीडिता दिनांक 18.05.2026 को रात्री के 9–9.30 बजे पर गाँव में घूमती हुई सी.सी.टी.वी. कैमरे में नजर आयी है जिसकी वीडियो फुटेज के फोटो जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है। प्रार्थी दिनांक 18.05.2026 को अपनी गाडी सं० यू०पी० 14 डी ई–7948 ईको कार से सुबह 5.45 बजे जटवाडा गाँव से बुक करके गाँव खेडा कुरताल जिला शामली में मौत में गया था और करीब दोपहर 12 बजे दिन खेडा कुरतान से वापस अपने गाँव आ रहा था जैसे ही प्रार्थी जानसठ में खतौली तिराहे पर पहुंचा तभी थाना मीरापुर की पुलिस ने गिरफतार कर लिया और थाने पर पूछताछ के बहाने ले जाकर वादी से साज करके उसे नफा नाजायज पहुंचाने की गरज से झूठा मुकदमा लिखकर प्रार्थी को जेल भेज दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कथित पीडिता 180–183 बी.एन.एस.एस. के बयानो में घोर विरोधाभाष है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है अपितु अभियोजन पक्ष के हितबद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिश के कारण उपरोक्त अभियोग में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध तथाकथित अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी / अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफता है। प्रार्थी/अभियुक्त कारागार में निरूद्ध रहकर अपने वाद की उचित पैरवी करने में असमर्थ रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने अथवा अभियोजन पक्ष के साक्षीगण पर किसी भी प्रकार का नाजायज प्रभाव डालने का अंदेशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने उचित जामिनान देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किया जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे।

3– उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के विरोध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. प्राथमिकी अनुसार घटना के संबंध में वादी मुकदमा के द्वारा संबंधित थाने पर प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी जाति से चमार (s.c) है। मैं गांव के ही भट्टे पर परिवार सहित ईंट मजदूरी करता हूं। मेरे ही गांव का हिबजुल रहमान पुत्र अब्दुल कलाम मेरी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को भट्टे पर आते जाते पीछा कर छेड़छाड़ करता था। दिनांक 18/5/26 को सुबह करीब 04.30 पर बहला फुसला कर मेरी पुत्री को भट्टे से भगा कर ले गया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पर अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न करने का आरोप है। जबकि पीड़िता द्वारा अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया गया कि "मैं 17 वर्ष की हूं। मैं आठवी तक पढी हूं। मेरे घरवालों ने गलत मुकदमा लिखवाया हैं। मेरे साथ कुछ हुआ नहीं हैं। मेरी हिबजुल से 06 माह पर फोन पर बात हो रही थी तो रात में 17.05.26 को बहन खुशबू को बोला था कि हिबजुल को कह दों कि भट्टे पर आ जायेगा। सुबह वहां बुलाया था। जहां काम करती हूं। सुबह 18.05.26 को 04.30 बजे मैं भट्टे पर गयी थी। मम्मी पापा के साथ गयी थी। फिर वहां बाथरूम का बोलकर अलग हुयी और ईंख के पास जाकर छिप गयी। हिबजुल का इन्तजार किया था। हिबजुल आया 09 बजे सुबह वहां पर मैंने देखा था पर मम्मी पापा के डर के कारण मैं ईंख से निकली नहीं व वेट किया 05 मिनट फिर चला गया। मैं वही छिपी रही फिर शाम को 06.30 बजे निकली और घर आ गयी थी। मेरे साथ कोई गलत काम जोर जबरदस्ती नही हुयी हैं। मैं अपनी मर्जी से गयी थी। मेरे साथ कोई बलात्कार खेत में नही हुआ।" मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केस के गुण अवगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किये जाने का न्यायोचित आधार पाया जाता

है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हिबजुल रहमान पुत्र अब्दुल कलाम, निवासी ग्राम सम्भलहेड़ा, थाना मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर की ओर से मु०अ०सं०–84/2026, अन्तर्गत धारा **137(2), 75, 78, 64(1) बी.एन.एस. व 7/8 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(v), 3(1)(ब)(i)(ii) एस.सी./एस.टी.एक्ट**, थाना मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **1,00,000/– (एक लाख रूपये)** की दो जमानते व इतनी ही धनराशि के निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को डराएगा या धमकाएगा।
3. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।
4. अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
5. अभियुक्त अपने आवासीय पते में किसी भी बदलाव की सूचना तत्काल न्यायालय को देगा।

यदि अभियुक्त उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांकः 01.07.2026

(मंजुला भालोटिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
कोर्ट सं0–1, मुजफ्फरनगर।